# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

**पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0**

**राजस्व वाद संख्या : 148/2017**

वादी बनाम प्रतिवादी

1. पोकरराम पुत्र भैराराम जाति कुमावत निवासी-ग्राम निमाज, हाल निवासी खिनावडी, तहसील जैतारण जिला-पाली राज0

1. तहसीलदार जैतारण, जिला-पाली राज0

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 एल.आर. एक्ट**

तारीख रजू:.14/07/2017

उपस्थित:. 1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।

**-:: निर्णय ::-** दिनॉक:- 05/02/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा- निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम मे वादी व अन्य खातेदारों की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 370 रकबा 2-13 बीघा, खसरा नंबर 375 रकबा 4.13 बीघा, खसरा नंबर 377 रकबा 01.09 बीघा, खसरा नंबर 379 रकबा 01.13 बीघा, खसरा नंबर 380 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 382 रकबा 17.08 बीघा, खसरा नंबर 384 रकबा 33.04 बीघा, खसरा नम्बर 384/2024 रकबा 02.07 बीघा, खसरा नंबर 386 रकबा 29.13 बीघा, खसरा नंबर 386/2027 रकबा 03.06 बीघा, की आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादी का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला व काश्त है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चला आ रहा है, उक्त आराजी मे वादी का नाम पोकर पुत्र रूपा चला आ है, जबकि वादी का सही नाम पोकरराम पुत्र भैराराम ही है, इसी प्रकार सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड एवं परिचय पत्र में भी वादी का सही नाम पोकरराम ही दर्ज है। तथा वादी के पिता का सही नाम भैराराम है, तथा रूपाराम पोकरराम के दादा है, तथा पोकरराम के पिता भेराराम का देहान्त अपने दादा रूपाराम से पूर्व हो गया था। तथा दादा के जिवित होने से उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा था तथा वादी के दादा रूपाराम के फौत होने पर तत्कालीन आरआई व पटवारी ने म्युटेशन पारित करते समय सहवन व भूल से वादी के पिता का नाम भैराराम के स्थान पर रूपा का इन्द्राज है जो कि एक भूल है, जो एक रॉग एन्ट्री की तारीफ मे आता है जबकि वादी के पिता का सही नाम भैराराम है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से प्रमाणित है। जिसको दुरूस्त कराने बाबत यह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादपत्र घोषणा व दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादी का नाम पोकरराम पुत्र रूपाराम इन्द्राज है, जिससे वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम पोकर पुत्र रूपाराम के स्थान पर पोकरराम पुत्र भैराराम दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा एवं दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम पोकर पुत्र रूपाराम इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से दिनांक 30.06.2017 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरूस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बाबत अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत बहक वादी रिूद्ध प्रतिवादी के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादी के अलावा अन्य सहहिस्सेदार व खातेदार है परन्तु उनको पक्षकार नही बनाया गया है क्योंकि वादी को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के वादी के इस वादपत्र से कोई हिस्से की प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादी का एवं उसके पिता के सही नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 30.06.2017 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम निमाज प्रथम जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार वकील वादी नक वादपत्र पेश कर माफिक वाद वादी का डिक्री किये जाने की इस्तदूआ की।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब पेश किया सा. मि. किया गया। तहसीलदार ने जवाब में वादी के पिता का सही नाम भेराराम होने की पुष्टि की हैं। बहस वकील वादी की सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात यथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पहचान पत्र JVL / 1294941 की प्रति, आधार कार्ड 671373658224 की प्रति, किसान कार्ड एवं राशन कार्ड की प्रति का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा उक्त सबूतो के आधार पर वादी एवं वादी के पिता के गलत नाम पोकर पुत्र रूपाराम के स्थान पर वादी एवं वादी के पिता के सही नाम पोकरराम पुत्र भैराराम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त के रूप में दर्ज करने की घोषणा करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण ( पाली )

Scanned by CamScanner

## –:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा– निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम मे वादी व अन्य खातेदारों की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 370 रकबा 2–13 बीघा, खसरा नंबर 375 रकबा 4.13 बीघा, खसरा नंबर 377 रकबा 01.09 बीघा, खसरा नंबर 379 रकबा 01.13 बीघा, खसरा नंबर 380 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 382 रकबा 17.08 बीघा, खसरा नंबर 384 रकबा 33.04 बीघा, खसरा नम्बर 384/2024 रकबा 02.07 बीघा, खसरा नंबर 386 रकबा 29.13 बीघा, खसरा नंबर 386/2027 रकबा 03. 06 बीघा आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी एवं वादी के पिता के गलत नाम पोकर पुत्र रूपाराम के स्थान पर वादी एवं वादी के पिता के सही नाम पोकरराम पुत्र भैराराम दुरूस्त दर्ज करने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी<br>
जैतारण (पाली)<br>
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण<br>
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी<br>
जैतारण (पाली)<br>
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण<br>
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner